न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–17 / 2020

दायर दिनांकः 04.03.2020

GCMS NO:- 2020/00047

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामदेव पुत्र धुलिया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. मनभर पुत्री धुलिया हाल पत्नि जंशी जाति मीना निवासी ग्राम शोदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. मीरा पुत्री धुलिया हाल पत्नि खाना जाति मीना निवासी ग्राम झीडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
4. साबूलाल पुत्र हीरा दोहिता जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. मनोहर पुत्र हीरा दोहिता जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. सम्पत पुत्री हीरा दोहिती धुलिया पत्नी रामस्वरूप जाति निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. फोरी पुत्री हीरा दोहिती धुलिया पत्नी सोभाग जाति निवासी ग्राम देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. रामकरण पुत्र फुन्दया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. मनफुल पुत्र फुन्दया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामरतन पुत्र फुन्दया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. रामनारायण पुत्र फुन्दया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. गीताराम पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. लोडकी पुत्र भूरालाल जाति मीना निवासी ग्राम शोदानपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
7. जसोदा पत्नी नहनू जाति मीना निवासी शिवदानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रामराज पुत्र प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. रामसागर पुत्र सुवा जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. मांगीलाल पुत्र सुवा जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. हेमराज पुत्र फुन्दया जाति मीना निवासी ग्राम खेडी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. कजोडी पुत्री प्रभू पत्नी बद्री जाति मीना निवासी लाखेरी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. काली पुत्री प्रभू पत्नी निवासी रघुनाथगंज तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
14. अंजना पुत्री प्रभू पत्नी सोराज निवासी कोटा जिला कोटा।
15. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी.एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक .12.2021

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Reader/Decesion/2021

Scanned with CamScanner

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां भूमि खसरा संख्या 647/01–13, 661/860/00–01, 669/00–16 तथा 681/00–19 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 607/01–05, 611/01–18 तथा 655/02–00 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 612/01–07, 613/01–00, 617/00–19, 618/00–18 तथा 726/02–09 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 604/00–05, 608/01–13, 614/00–18, 662/00–17 तथा 731/00–06 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। यह कि यह कि ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 616/00–07 बीघा गै० मु० चाह भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 5 में वर्णित भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार कृषक चले आ रहे है। यह कि खसरा संख्या 647, 613 व 616 में आने जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम खेडी से आने वाले रास्ता खसरा संख्या 605, 606 से फटकर भूमि खसरा संख्या 611 के उत्तरी मेर पर होकर खसरा संख्या 611, 612, 613, 614 के बीच की मेर पर खसरा संख्या 616 चाह में आते है। खसरा संख्या 616 चाह से खसरा संख्या 647 पर पहुंचता है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। प्रार्थीगण इसी रास्ते का सदैव से अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने, गाडी बैल, हल कुली व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने के काम में लेते चले आ रहे हैं। यह कि प्रत्यार्थीगणों के मन में बदयानित आ गई है इस पर प्रत्यार्थीगणों ने अवैध व अनाधिकृत रूप से गत सप्ताह से बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते में भूमि खसरा संख्या 611, 612, 613, 617, 618 व 605 की भूमि उपयोग में आयेगी। यह कि खसरा संख्या 611 में से रकबा 28 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 56 वर्ग गठ्ठा= 03 बिस्वा, खसरा संख्या 612 में से रकबा 15 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 30 वर्ग गठ्ठा= 02 बिस्वा, खसरा संख्या 613 में से रकबा 14 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 28 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा, खसरा संख्या 617 में से रकबा 9 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 18 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा, खसरा संख्या 618 में से रकबा 10 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 20 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा तथा खसरा संख्या 605 में से रकबा 26 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 52 वर्ग गठ्ठा= 03 बिस्वा अर्थात कुल रकबा 11 बिस्वा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही डोटेड लाइन से दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल रकबा 11 बिस्वा है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट सहण में पेश हुई । उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम खेडी पटवार मण्डल सहण तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या 647, 613 व 616 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिएखसरा संख्या 611 में से रकबा 28 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 56 वर्ग गठ्ठा= 03 बिस्वा, खसरा संख्या 612 में से रकबा 15 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 30 वर्ग गठ्ठा= 02 बिस्वा, खसरा संख्या 613 में से रकबा 14 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 28 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा, खसरा संख्या 617 में से रकबा 9 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 18 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा, खसरा संख्या 618 में से रकबा 10 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 20 वर्ग गठ्ठा= 01 बिस्वा तथा खसरा संख्या 605 में से रकबा 26 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 52 वर्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

03 बिस्वा अर्थात कुल रकबा 11 बिस्वा , जिसे नजरी नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड
से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये
है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर
कोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को
रिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को
निर्देशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में
किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:58:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner